63

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः—श्री के0सी0 जैन
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1347—पीबीआर/2001 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 19—07—2001 के द्वारा अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक 33/2000—2001/अपील

.....

अजीत सिहं पुत्र मजबूत सिहं
निवासी— ग्राम दाबू खेड़ी मजरा मेथोना बड़ा
तहसील कोलारस, जिला—शिवपुरी, म0प्र0

..... आवेदक

विरूद्ध

बलिंग बाई पत्नी भीकाराम
निवासी— मेथोना बड़ा परगना
कोलारस, जिला—शिवपुरी, म0प्र0

.....अनावेदक

.....

श्री आर0डी0 शर्मा, अभिभाषक, आवेदक
श्री बी0एस0 धाकड़, अभिभाषक, अनावेदक क्र0

.....

आदेश

(आज दिनांक 21-7-2016 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त चम्बल संभाग, ग्वालियर द्वारा प्रकरण क्रमांक 33/2000—2001/अपील में पारित आदेश दिनांक 19—07—2001 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण का संक्षिप्त सार यह है कि अनावेदिका द्वारा न्यायालय तहसीलदार के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत कर ग्राम मेथोना के शासकीय सर्वे कमांक 214 रकवा 0.45 है पर कब्जे के आधार पर अतिक्रम दर्ज किये जाने मांग की है। तहसीलदार द्वारा दिनांक 04.02.2000 अनावेदिका के हित में आदेश पारित किया गया है, इसी आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा

न्यायालय अनुविभगीय अधिकारी के यहॉ अपील पेश की गई, जो प्रकरण क्रमांक 32/1999–2000/अपील पर दर्ज किया गया, जिसे अनुविभागीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 19.09.2000 द्वारा अपील अस्वीकार करते हुये तहसील न्यायालय के आदेश को स्थिर रखा है। अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश के विरूद्व न्यायालय अपर आयुक्त ग्वालियर में द्वितीय अपील प्ररूतुत की गयी है। प्रकरण क्रमांक 33/2000–01/अपील /384 पंजीबद्व किया गया और आदेश दिनांक 19–07–2001 को अस्वीकार की गई । अपर आयुक्त के उक्त आदेश दिनांक 19–07–2001 से परिवेदित होकर आवेदक द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत कर बताया है कि अपर आयुक्त का आदेश, आवेदक की अपील खारिज करने से संबंधित है, अवैध, अनुचित तथा विधि के उपबंधों के प्रतिकूल होने से संशोधन किए जाने योग्य है। विवादित भूमि पर आवेदक का विगत 30–35 वर्षो पूर्व से कब्जा होकर आवेदक कास्ते करते चला आ रहा है। भूमि को कृषि योग्य बनाने में आवेदक ने अत्याधिक श्रम एवं व्यय किया है, किन्तु इस बिन्दु पर अपर आयुक्त ने विचार ही नहीं किया। जब विवादित भूमि पर पूर्व से ही आवेदक अथवा किसी अन्य व्यक्ति का कब्जा लिखने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता । इस प्रश्न पर तहसील न्यायालय एवं अनुविभागीय आधिकारी ने विचार न कर वैधनिक त्रुटि की थी। अपर आयुक्त ने अपील में अनावेदक का का कब्जा दर्ज करने के आदेश को अपास्त कर दिया है किन्तु आवेदक के हितों को नजर अन्दाज किया गया है, इस कारण अपर आयुक्त के आदेश में संशोधन किया जाना न्यायोचित होगा। प्रत्यावर्तन आदेश में विवादित भूमि आवेदक के नाम व्यवस्थापन करने का निर्देश दिया जाना चाहिये था, तथा जो भी उसका प्रीमियम होगा उसका भुगतान करने के लिये आवेदक सदैव तत्पर है। आंवटन कार्यवाही में भी आवेदक को प्राथमिकता दिये जाने का निर्देश दिया जाना चाहिये था, क्योंकि आवेदक विवादित भूमि पर 30–35 वर्षो से निरंतर काबिज होकर कास्त करता चला आ रहा है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालयों का आदेश खारिज किये जाने योग्य है । अतः प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जावे ।

4/ अनावेदिका के अधिवक्ता श्री बी0एस0 धाकड द्वारा अभिलेख के आधार पर प्रकरण का निराकरण किये जाने का निवेदन किया गया है ।

5/ मेरे द्वारा उभयपक्ष के अधिवक्ताओं के तर्क श्रवण किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का परिशीलन किया । अभिलेख से प्रकट होता है कि अनावेदक का शासकीय भूमि पर अतिक्रमण है, जिसकी प्रविष्टि कराने हेतु उसके द्वारा आवेदन दिया गया है । अभिलेख से यह भी स्पष्ट है कि आवेदक हितबद्ध पक्षकार नहीं है क्योंकि विवादित भूमि शासकीय है । ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा लिया गया निर्णय उचित है । जहां तक अनावेदक का अतिक्रमण का प्रश्न है । अभिलेख से अतिक्रमण सिद्ध है। पटवारी द्वारा भी अपनी रिर्पोट में शासकीय भूमि पर अतिक्रमण होना अंकित किया गया है, जब तक किसी व्यक्ति को शासन द्वारा विधिवत भूमि आवंटित न की जावे, वह शासकीय भूमि धारण का अधिकारी नहीं होता है। ऐसी स्थिति में अनावेदक का अतिक्रमण अवैध ही माना जावेगा । अतएव तहसीलदार को यह निर्देशित किया जाता है कि ऐसे अवैध अतिक्रमण को तत्काल हटाया जाकर भूमि शासकीय अंकित की जावे व विधिवत आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाकर विवादित भूमि बंटन की कार्यवाही शासन के निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में की जावे ।

6/ मेरे मतानुसार अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के द्वारा पारित किया गया आदेश दिनांक 19.07.2001 विधिसंगत है। अतः अपर आयुक्त द्वारा पारित किया गया आदेश स्थिर रखा जाता है और आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज की जाती है ।

(के0सी0 जैन)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर